रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007/पौष 10, 1929
No. 235] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2007/PAUSA 10, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 है ।

(2) ये विनियम 7 जनवरी, 2008 के 00.00 घंटे से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 5 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 5 खंड के 3 के उप-खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि अनंतिम टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय, यथा लागू टैरिफ फाइल करने वाले प्ररुपों के प्ररुप 5ख, 5ग और 5घ के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे फाइल करने आवश्यक नहीं होंगे ।"

3. **विनियम 19 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**19. इंफर्म ऊर्जा की बिक्री** — इंफर्म ऊर्जा की अननुसूचित विनिमय (यूआई) के रूप में गणना की जाएगी तथा उसको लागू फ्रीक्वेंसी-लिंक्ड यूआई दर पर क्षेत्रीय/राज्स्व यूआई पूल खाते के लिए संदत्त किया जाएगा । किसी उत्पादन कंपनी द्वारा इंफर्म ऊर्जा के विक्रय से किसी भी राजस्व को पूंजी लागत में कमी के लिए लागू किया जाएगा तथा इसे राजस्व के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

4. **विनियम 24 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**24. अननुसूचित विनिमय (यू. आई.) प्रभार** :—(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी । उत्पादन केन्द्र

के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा । फायदाग्राही के लिए यू. आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा । यू. आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचज़ेड)		यू आई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
—	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
50.48	40.46	16.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0
49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
—	—	—
—	—	—
49.04	49.02	982.0
49.02	—	1000.0

(प्रत्येक 0.02 एचज़ेड स्टेप 50.5-49.8 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 8.00 पैसे/केडब्ल्यूएच, और 49.5-49.0 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 18.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)

परंतु यह कि कोयला या लिग्नाइट फायरिंग वाले उत्पादन केंद्रों तथा केवल एपीएम गैस से चलने वाले केंद्रों की दशा में, यूआई दर 40.6 से प्रति केडब्ल्यूएच पर होगी जब वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से अधिक हो ।

टिप्पण :

उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन हैं ।

5. **विनियम 35 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"35. **इंफर्म ऊर्जा की बिक्री** : इंफर्म ऊर्जा की अननुसिचित अंर्तविनिमय (यूआइ) के रूप में गणना की जाएगी तथा उसको लागू फ्रीक्वेंसी-लिंक्ड यूआई दर पर क्षेत्रीय/राजस्व यूआई पूल खाते के लिए संदत्त किया जाएगा । किसी उत्पादन

कंपनी द्वारा इंफर्म ऊर्जा के विक्रय से किसी भी राजस्व को पूंजी लागत में कमी के लिए लागू किया जाएगा तथा इसे राजस्व के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

6. **विनियम 42 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 42. **अननुसूचित विनिमय (यू. आई.) प्रभार :** (1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी । उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा । फायदाग्राही के लिए यू. आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा । यू. आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचज़ेड)		यू आई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
---	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
50.48	40.46	16.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0
49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
49.04	49.02	982.0
49.02	—	1000.0

(प्रत्येक 0.02 एचज़ेड स्टेप 50.5-49.8 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 8.00 पैसे/केडब्ल्यूएच, और 49.8-49.0 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 18.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)-

टिप्पण :

उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन हैं ।

(i) हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्रों से ग्रिड फ्रीकेंसी परिवर्तनों तथा अंतरवा उतार-चढ़ाव को दिखाने की आशा की जाती है । अतः वे दी गई अनुसूची से विचलन के लिए स्वतंत्र होंगे जिससे वे गेंमिग न कर सकेंगे तथा ग्रिड पर दवाब न बढ़ा सकेंगे । इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक दिन पर हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र द्वारा प्रदाय की गई कुल

वास्तविक ऊर्जा में उस दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस) से अंतर हो सकेगा । विनियम 45 के खंड (xix) मे यथावर्णित (दिन+3) के लिए अनुसूची में प्रतिकर संबंधित भार प्रेषण द्वारा लिया जाएगा ।

(ii) संबंधित भार प्रेषण केंद्र आवधिक रूप से यह जांच करेगा कि उत्पादन केंद्र वास्तविकता से क्षमता तथा ऊर्जा की घोषणा कर रहा है तथा यूआई के माध्यम से अनुचित धन प्राप्त करने के लिए घोषणा करने में छल नहीं कर रहा है ।

7. **विनियम 45 का संशोधन** (1) मूल विनियम के विनियम 45 के खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(xii) उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा घोषित क्षमता तथा ऊर्जा का पुनरीक्षण तथा इनके शेष भाग के लिए फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा अध्यपेक्षा को केवल आकस्मिकता की दशा में ही अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसे मामलों में पुनरीक्षित अनुसूचियों/घोषित क्षमता छठे समय - ब्लाक से प्रभावी हो सकेगी तथा जिसकी गणना उस समय ब्लाक में की जाएगी जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को एक बार पुनरीक्षण का अनुरोध प्राप्त हो गया हो ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 45 के खंड (xviii) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

" (xix) हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र के लिए संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई अनुसूची सामान्यतः ऐसी होगी कि वास्तविक दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा उस दिन को उपलब्ध होने वाली प्रत्याशित कुल ऊर्जा (एक्स् बस) हो, जैसा उपलब्ध/छोड़े गए अनुमानित/योजनाबद्ध जल के आधार पर उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित किया गया हो । यह भी आशा की जाती है कि उस दिन को उत्पादन केंद्र द्वारा वास्तविक रूप से प्रदाय की गई संपूर्ण कुल ऊर्जा घोषित कुल ऊर्जा के बराबर होगी जिससे कि जल छोड़े जाने की अपेक्षा को पूरा किया जा सके । अनुसूची से 15 मिनटवार अंतर को अननुसूचित विनिमय (यूआई) के रूप में माना जाएगा । संपूर्ण दिन, यदि कोई हो, के लिए कुल ऊर्जा अंतर को नीचे सिद्धांत में यथावर्णित के लिए अतिरिक्त रूप से गणना में लिया जाएगा

सिद्धांत

माना दिन 1 के लिए अनुमानित/प्रत्याशित कुल ऊर्जा (एक्स् बस) ई ^{1} है, अनुसूचित ऊर्जा एस 1 है तथा वास्तविक कुल ऊर्जा (मीटिरित) ए1 है तो सभी एक्स बस एमडब्ल्यूएच में हैं । माना उत्पादक द्वारा यथाघोषित दिन4 के लिए प्रत्याशित ऊर्जा उपलब्धता ई$_4$ है तब दिन 4 के लिए अनुसूची ऐसी रीति से निकाली जाएगी कि दिन 4 के लिए अनुसूचित ऊर्जा निम्नलिखित रूप मे होगी ।

एस4 = ई4 + (ए1 - ई1),

इसी प्रकार, एस 5 = ई5 + (ए2-ई2),

एस6 = ई6 + (ए3-ई3),

एस7 = ई7 + (ए4-ई4) और इत्यादि ।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/IV/असा./150/07]

टिप्पण :

मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-3, खंड 4 में तारीख 29.3.2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय-समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 9.9.2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 ।

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 25.8.2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 ।

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 8.6.2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 ।

(iv) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 14.3.2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2007 ।

(v) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 27.4.2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 ।

(vi) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 1.10.2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2007

No. L-7/25(5)/2003-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely :—

1. **Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Fourth Amendment) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force with effect from 00.00 hrs of 7th January, 2008.

2. **Amendment of Regulation 5:** After sub-clause (i) of Clause (3) of Regulation 5 of the principal regulations, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that while making the application for determination of provisional tariff, it shall not be necessary to file the details as specified under Forms 5B, 5C and 5D of the tariff filing forms, as applicable."

3. **Amendment of Regulation 19**: Regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:-

"19. **Sale of Infirm Power:** Infirm power shall be accounted as Unscheduled Interchange (UI) and paid for from the regional / State UI pool account at the applicable frequency-linked UI rate. Any revenue earned by the generating company from sale of infirm power shall be applied for reduction in capital cost and shall not be treated as revenue".

4. **Amendment of Regulation 24** : Clause (1) of Regulation 24 of the principal regulations, shall be substituted as under, namely:-

"24. **Unscheduled Interchange(UI) Charges**: (1) Variation between actual generation or actual drawal and scheduled generation or scheduled drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI) Charges. UI for a generating station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out for each 15-minute time block.

"42. **Unscheduled Interchange(UI) Charges**: (1) Variation between actual generation or actual drawal and scheduled generation or scheduled drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI) Charges. UI for a generating station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out for each 15-minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply:

Average frequency of time block (Hz)		UI Rate
Below	Not below	(Paise per kWh)
----	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
50.48	50.46	16.0
-----	-----	-----
-----	-----	-----
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0
49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
-----	-----	-----
----	-----	-----

49.04	49.02	982.0
49.02	-----	1000.0

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 8.0 paise/kWh in the 50.5-49.8 Hz frequency range, and to 18.0 paise/kWh in the 49.8-49.0 Hz frequency range)

Note

The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification by the Commission.

(2) (i) The hydro-electric generating stations are expected to respond to grid frequency changes and inflow fluctuations. They would, therefore, be free to deviate from the given schedule, as long as they do not indulge in gaming, and do not cause a grid constraint. As a result, the actual net energy supplied by a hydro-electric generating station over a day may differ from the Scheduled Energy (ex-bus) for that day. A compensation shall then be made by the concerned Load Despatch Centre in the schedule for the (Day + 3), as described in clause (xix) of Regulation 45.

(ii) The concerned Load Despatch Centre shall periodically check that the generating station is declaring the capacity and energy sincerely, and is not

Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply:

Average frequency of time block (Hz)		UI Rate
Below	Not below	(Paise per kWh)
----	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
50.48	50.46	16.0
-----	-----	-----
-----	-----	-----
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0
49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
-----	-----	-----
----	-----	-----
49.04	49.02	982.0
49.02	-----	1000.0

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 8.0 paise/kWh in the 50.5-49.8 Hz frequency range, and to 18.0 paise/kWh in the 49.8-49.0 Hz frequency range)

Provided that in case of generating stations with coal or lignite firing and stations burning only APM gas, UI rate shall be capped at 406 paise per kWh when actual generation exceeds the scheduled generation.

Note

The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification by the Commission.

5. **Amendment of Regulation 35**: Regulation 35 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:-

"35. **Sale of Infirm Power**: Infirm power shall be accounted as Unscheduled Interchange (UI) and paid for from the regional / State UI pool account at the applicable frequency-linked UI rate. Any revenue earned by the generating company from sale of infirm power shall be applied for reduction in capital cost and shall not be treated as revenue".

6. **Amendment of Regulation 42**: Regulation 42 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:-

manipulating the declaration with the intent of making undue money through UI.

7. **Amendment of Regulation 45**: (1) Clause (xii) of Regulation 45 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:-

"(xii) Revision of declared capability and energy by the generator(s) and requisition by beneficiary (ies) for the remaining part of the day shall be permitted, but only in case of a contingency. Revised schedules/declared capability in such cases shall become effective from the 6th time-block, counting the time-block in which the request for revision has been received in the Load Despatch Centre to be the first one."

(2) After clause (xviii) of Regulation 45 of the principal regulations, the following shall be added, namely:

"(xix) The schedule finalized by the concerned Load Despatch Centre for a hydro-electric generating station shall normally be such that the scheduled energy for a day equals the total energy (ex-bus) expected to be available on that day, as declared by the generating station, based on foreseen / planned water availability / release. It is also expected that the total net energy actually supplied by the generating station on that day would equal the declared total energy, in order that the water release requirement is met. While the 15-minute wise deviations from schedule would be accounted for as Unscheduled Interchange (UI), the net energy deviation for the whole day, if any, shall be additionally accounted for as shown in the illustration.

Illustration

Suppose the foreseen/expected total energy (ex-bus) for Day 1 is E1, the scheduled energy is S1, and actual net energy (metered) is A1, all in ex-bus MWh. Suppose the expected energy availability for Day 4, as declared by the generator, is E4. Then, the schedule for Day 4 shall be drawn up such that the scheduled energy for Day 4, shall be

S4 = E4 + (A1 – E1).
Similarly, S5 = E5 + (A2 – E2),
S6 = E6 + (A3 – E3),
S7 = E7 + (A4 – E4), and so on."

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT III/IV/Exty./150/07]

Note :

The principal regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 29.3.2004 and were amended from time to time as under:

(i) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations. 2004. notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 9.9.2004.

(ii) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2005, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 25.8.2005

(iii) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2006, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III. Section 4 dated 8.6.2006.

(iv) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Amendment) Regulations, 2007, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 14.3.2007.

(v) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2007, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 27.4.2007.

(vi) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2007, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 1.10.2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

5142GI/07-2